मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक 22(ए)396 / 2020 / एमपीएस / 31 / 521 भोपाल, दिनांक 28/05/2020

प्रति,

1.प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल।

2. आयुक्त,
कमांड क्षेत्र विकास संचालनालय,
भोपाल।

विषय :– लोकहित महत्व के शासकीय निर्माण कार्यो में रेत खनिज आपूर्ति करने हेतु अस्थायी उत्खनन अनुज्ञा स्वीकृति के संबंध में।

———

मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक एफ 19–6 / 2020 / 12 / 2, दिनांक 26.05.2020 के माध्यम से शासकीय निर्माण कार्यो में रेत खनिज आपूर्ति करने हेतु समस्त शासकीय ठेकेदारों को जिले में रेत खनिज की स्वीकृत निविदा दर पर अधिकृत मांग अनुसार रेत उत्खनन हेतु अस्थाई अनुज्ञा जारी करने के निर्देश समस्त जिला कलेक्टर्स को दिये गये है।

2. उल्लेखित परिपत्र की शर्तो के अनुसार जिलों के कार्यपालन यंत्रियों / सम्भागीय परियोजना प्रशासकों को निर्देशित किया जाए कि वे अविलम्ब आगामी माह सितम्बर–अक्टूबर तक की मांग का कार्य–वार आकलन कर, प्रमाणित रूप से अभिलेखों के आधार पर रेत का मांग पत्र संबंधित कलेक्टर को तत्काल प्रस्तुत करें तथा कार्य–वार रेत खदानों का चिन्हांकन करवा कर अस्थाई अनुज्ञा प्राप्त करें।

3. इन निर्देशों के जारी होने के पश्चात् शासकीय निर्माण कार्यो में रेत खनिज की अनुपलब्धता के कारण होने वाले किसी भी विलम्ब के लिए संबंधित परियोजना के प्रभारी अधिकारी को उत्तरदायी माना जाएगा।

28.5.2020

(डी.पी.अहूजा)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. कमांक 22(ए)396 / 2020 / एमपीएस / 31 / 522 भोपाल, दिनांक 28/05/2020
प्रतिलिपि :–

1. सचिव, म.प्र.शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त मुख्य अभियंता / परियोजना संचालक पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग(म.प्र.)।
3. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत समस्त टर्नकी कान्ट्रेक्टर्स।
4. वैब मेनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

28/5/2020

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

Desktop/Dinesh/Dinesh2020/Letter 2020